रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 114] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 12, 1972/चैत्र 23, 1894

No. 114] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 12, 1972/CHAITRA 23, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10*th April,* 1972

G.S.R. 243(E)—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873) and of all other powers hereunto enabling, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Savings Banks Rules, 1965, namely :—

1. These rules may be called the Post Office Savings Banks (Fourth Amendment) Rules, 1972.

2. In the Post Office Savings Banks Rules, 1965, in the Table below rule 3, for item (2), the following item *shall* be substituted, namely :—

"(3) Public Account.	(i) A local authority or a lawfully constituted association, institution, or other body for the encouragement of thrift or for the mutual benefit of its members.	Without limit	One in respect of each authority or body.	One or two persons authorised for the purpose either jointly or severally at the option of the authority or body.
	(ii) A High School or Intermediate College referred to as an institution within the meaning of the Uttar Pradesh High Schools	Without limit	One in respect of each school or college.	Jointly by a representative of the management and by the Inspector as defined in the

	and Intermediate Colleges (Payment of Salaries of Teachers and other Employees) Act, 1971 (Uttar Pradesh Act 24 of 1971), jointly with the Inspector as defined in the said Act for payment of salaries of its teachers and other employees.			Uttar Pradesh High Schools & Intermediate Colleges (Payment of Salaries of Teachers and other Employees) Act, 1971 (Uttar Pradesh Act 24 of 1971), or such other officer as may be authorised by the Inspector in that behalf or by a representative of the management alone if duly authorised to that effect by the Inspector, or by the Inspector himself or by such other officer as may be authorised by him in that behalf".

[No. F. 7 (12). NS/71],
B. MAITHREYAN,
Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1972

सा० का० नि० 243 (अ).—सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस सम्बन्ध में उसे समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, डाकघर बचत बैंक नियम, 1965 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम डाकघर बचत बैंक (चतुर्थ संशोधन) नियम, 1972 होगा ।

2. डाकघर बचत बैंक नियम, 1965 में, नियम 3 के नीचे की सारणी में, मद (3) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3) लोक लेखा	(i) मितव्ययिता को प्रोत्साहित करने के लिए या अपने सदस्यों के पारस्परिक फायदे के लिए कोई स्थानीय प्राधिकारी या कोई विधिपूर्वक गठित संगम, संस्था, या अन्य निकाय ।	कोई सीमा नहीं ।	हरेक प्राधिकारी या निकाय की बाबत एक ।	प्राधिकारी या निकाय के विकल्प पर संयुक्तत: या पृथक्त: इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत एक या दो व्यक्ति ।

(ii) उसके अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतनों के संदाय के लिए उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इंटर-मीडिएट कालेज (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतनों का संदाय) अधिनियम, 1971 (1971 का उत्तर प्रदेश अधिनियम, 24) में यथा परिभाषित निरीक्षक के साथ, उक्त अधिनियम के अर्थ के अन्तर्गत किसी संस्था के रूप में निर्दिष्ट कोई हाई स्कूल या इंटर-मीडिएट कालेज, संयुक्ततः	कोई सीमा नहीं	हरेक स्कूल या कालेज की बाबत एक।	प्रबन्ध-मंडल के किसी प्रतिनिधि द्वारा और उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कालेज (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतनों का संदाय) अधिनियम, 1971 (1971 का उत्तर प्रदेश अधिनियम, 24) में यथा परिभाषित निरीक्षक द्वारा संयुक्त या निरीक्षक द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा या यदि निरीक्षक द्वारा तदर्थक समयक रूप से प्राधिकृत किया गया हो तो प्रबंध मंडल के किसी प्रतिनिधि द्वारा अकेले ही, या स्वयं निरीक्षक द्वारा य उसके द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा"।

[फा० 7 (12)-एन० एस०/71]

वी० मैत्रेयन, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972